Annexure-'I'

160

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-7/पर्या0प्रदू0(वाद)-18/2019-4320 व0प0, राँची दिनांक-13/11/2019

औद्योगिक कार्यकलापों, निर्माण कार्यकलापों, जेनरेटर सेटों, लाउड स्पीकरो, सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों, म्यूजिक सिस्टम, वाहनों के हॉर्नों एवं अन्य यांत्रिक उपकरणों के कारण सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ता परिवेशीय शोर अस्पताल, शिक्षण संस्थानों एवं न्यायालयों एवं अन्य स्थलों में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है।

2. राज्य सरकार एतद् द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम–3(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची अवस्थित निम्नलिखित संस्थानों के परिसर को शांत क्षेत्र/जोन (Silence Area/Zone) घोषित करती है :-

(i) झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(ii) प्रोजेक्ट बिल्डिंग, राँची।

(iii) नेपाल हाउस सचिवालय, राँची।

3. परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने हेतु शांत क्षेत्र/जोन (Silence Area/Zone) में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत निर्धारित निम्न मानक लागू रहेंगे :-

SCHEDULE

see rule 3(1) and 4(1)

Ambient Air Quality Standard in respect of Noise

Area Code	Category of Area/Zone	Limits in dB(A) Leq*	
		Day Time	Night Time
(D)	Silence Zone	50	40

159

Note:- 1. Day time shall mean from 6.00 A.M to 10.00 P.M.

2. Night time shall mean from 10.00 P.M to 6.00 A.M.

4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम–2(c) के तहत् निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–2128 दिनांक–14.06.2019 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित किए जा चुके हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–7 / पर्या०प्रदू० (वाद)–18 / 2019–4310 व०प०, राँची दिनांक– 13/11/2019

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 100 अतिरिक्त प्रतियाँ प्रकाशनोपरान्त उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–7 / पर्या०प्रदू० (वाद)–18 / 2019–4310 व०प०, राँची दिनांक–13/11/2019

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उपायुक्त, राँची / वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची / अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची / नगर पुलिस उपाधीक्षक, राँची / सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–7 / पर्या०प्रदू० (वाद)–18 / 2019–4310 व०प०, राँची दिनांक–13/11/2019

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची एवं सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव